

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021—माघ 23, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शिल्पा अगलावे ध. प. श्री तुषार रविन्द्र अगलावे, उम्र 46 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं.- 45/सी, रूआबांधा, सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम श्यामली अगलावे दर्ज है. मेरा वास्तविक नाम शिल्पा अगलावे है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेज में दर्ज है. मैं अपने घरेलू नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब से मुझे श्रीमती शिल्पा अगलावे (Smt. Shilpa Aglawe) ध. प. श्री तुषार रविन्द्र अगलावे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती श्यामली अगलावे
(Smt. Shyamli Aglawe)
पति-श्री तुषार रविन्द्र अगलावे
निवासी-क्वार्टर नं.- 45/सी,
रूआबांधा, सेक्टर भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती शिल्पा अगलावे
(Smt. Shilpa Aglawe)
पति-श्री तुषार रविन्द्र अगलावे
निवासी-क्वार्टर नं.- 45/सी,
रूआबांधा, सेक्टर भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तृषा आत्मजा श्री इतवारी, निवासी-ग्राम झिरिया, पोस्ट चंदनू, तहसील व जिला बेमेतरा (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम बिसाहीन था जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम तृषा रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे तृषा (Trisha) आत्मजा श्री इतवारी (Shri Itwari) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
बिसाहीन (Bisahin)	तृषा (Trisha)
पिता-श्री इतवारी (D/o-Shri Itwari)	पिता-श्री इतवारी (D/o-Shri Itwari)
निवासी-ग्राम-झिरिया, पोस्ट-चंदनू, तह. व जिला-बेमेतरा (छ. ग.)	निवासी-ग्राम-झिरिया, पोस्ट-चंदनू, तह. व जिला-बेमेतरा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कल्पना बागड़े ध. प. श्री विनोद कुमार बागड़े, उम्र 51 वर्ष, निवासी-डब्लू 56, गणपति विहार कालोनी, बोरसी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. भिमेश्वरी पुंडलिक उरकुड़े था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मेरा विवाह श्री विनोद कुमार बागड़े के साथ संपन्न हुआ पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कल्पना बागड़े रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती कल्पना बागड़े ध. प. श्री विनोद कुमार बागड़े के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
कु. भिमेश्वरी पुंडलिक उरकुड़े निवासी-मु- रामाटोला, पो.-अंजोरा, तहसील-आमगाँव जिला-गोंदिया (महाराष्ट्र)	श्रीमती कल्पना बागड़े पति- श्री विनोद कुमार बागड़े निवासी-डब्लू 56, गणपति विहार कालोनी, बोरसी, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रिया साहू ध. प. श्री हेमलाल साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी-ग्राम-बोडरा, पो.-धनेली, तहसील गुरुर, जिला बालोद (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम रिहाना खान आत्मजा श्री गोरे खान था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 30-06-2020 को श्री हेमलाल साहू के साथ संपन्न हुआ, पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रिया साहू रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती रिया साहू (Smt. Riya Sahu) ध. प. श्री हेमलाल साहू (Shri Hemlal Sahu) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

रिहाना खान
(Rihana Khan)
पिता-श्री गोरे खान
(D/o-Shri Gore Khan)
निवासी-हा. नं.-P/17 ईमलीभाठा
सरकण्डा, बिलासपुर (छ. ग.)
पिन- 495001

नया नाम

श्रीमती रिया साहू
(Smt. Riya Sahu)
पति-श्री हेमलाल साहू
(W/o-Shri Hemlal Sahu)
निवासी-ग्राम-बोडरा,
पो.-धनेली,
तहसील-गुरुर,
जिला-बालोद (छ. ग.)
पिन- 491227

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रकाश कुमार चारभे आत्मज स्व. शंकर राव चारभे, उम्र 49 वर्ष, निवासी-गली नं.-04, शंकर नगर, बुद्ध विहार के पास, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा पुत्र जो कि कक्षा आठवीं में अध्ययनरत है, उसके स्कूल रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम प्रकाश चारभे दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम प्रकाश कुमार चारभे है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में, मेरे नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे प्रकाश कुमार चारभे आत्मज स्व. शंकर राव चारभे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

प्रकाश चारभे
पिता-स्व. शंकर राव चारभे
निवासी-गली नं.-04, शंकर नगर,
बुद्ध विहार के पास, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

प्रकाश कुमार चारभे
पिता-स्व. शंकर राव चारभे
निवासी-गली नं.-04, शंकर नगर,
बुद्ध विहार के पास, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मेधा जोशी ध. प. श्री मधुसूदन जोशी निवासी- एच-6/सी, दुबे कॉलोनी, मोवा, सड्डू, रायपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम सुजाता कुलकर्णी था तथा मेरा विवाह श्री शिशिर कुमार कुलकर्णी के साथ हुआ था पश्चात् मेरा विवाह विच्छेद हो गया। मेरा पुनर्विवाह श्री मधुसूदन जोशी के साथ संपन्न हुआ। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मेधा जोशी रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती मेधा जोशी (Smt. Medha Joshi) ध. प. श्री मधुसूदन जोशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सुजाता कुलकर्णी
(Sujata Kulkarni)
पति- श्री शिशिर कुमार कुलकर्णी
निवासी-एच-6/सी, दुबे कॉलोनी,
मोवा, सड्डू, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती मेधा जोशी
(Smt. Medha Joshi)
पति- श्री मधुसूदन जोशी
निवासी-एच-6/सी, दुबे कॉलोनी,
मोवा, सड्डू, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कार्तिक राम ठाकुर आत्मज श्री नंदलाल, उम्र 57 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-7/सी, सड़क नं.-21, सेक्टर -07, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड व बैंक पासबुक, पेनकार्ड आदि में मेरा नाम कार्तिक राम आ. श्री नंदलाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “ठाकुर” जोड़कर पूर्ण नाम कार्तिक राम ठाकुर रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे कार्तिक राम ठाकुर आत्मज श्री नंदलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कार्तिक राम
पिता- श्री नंदलाल
निवासी-क्वा. नं.-7/सी, सड़क नं.-21,
सेक्टर -07, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कार्तिक राम ठाकुर
पिता- श्री नंदलाल
निवासी-क्वा. नं.-7/सी, सड़क नं.-21,
सेक्टर -07, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आकाश देवांगन आत्मज श्री तिजऊ राम देवांगन, उम्र 46 वर्ष, निवासी-खान नर्सिंग होम के सामने, स्टेडियम रोड, कौरिनभांठा, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ, यह कि मेरा वास्तविक नाम आकाश देवांगन (Aakash Dewangan) आ. श्री तिजऊ राम देवांगन (Shri Tijau Ram Dewangan) है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, सर्विस बुक, जाति प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम आकाश (Akash) आ. श्री तिजऊ राम तथा मेरे स्नातक/स्नातकोत्तर, बी. एड., मुद्रलेखन आदि के प्रमाण पत्रों में आकाश (Akash) आ. श्री तिजऊ राम देवांगन दर्ज है जिसकी स्पेलिंग (वर्तनी) त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर, मैं अपने वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे आकाश देवांगन (Aakash Dewangan) आत्मज श्री तिजऊ राम देवांगन (Shri Tijau Ram Dewangan) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

आकाश
(Akash)
पिता- श्री तिजऊ राम
(S/o- Shri Tijau Ram)
निवासी-खान नर्सिंग होम के सामने,
स्टेडियम रोड, कौरिनभांठा, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

आकाश देवांगन
(Aakash Dewangan)
पिता - श्री तिजऊ राम देवांगन
(S/o - Shri Tijau Ram Dewangan)
निवासी-खान नर्सिंग होम के सामने,
स्टेडियम रोड, कौरिनभांठा, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राम सागर यादव आत्मज स्व. अगनू राय, उम्र 63 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-02, मठपारा, शक्ति नगर, नंदिनी रोड, जामुल, जामुल सीमेंट वर्क्स, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ, यह कि मेरा वास्तविक नाम राम सागर यादव आ. स्व. अगनू राय है, किन्तु मेरे नाम की अचल संपत्ति के राजस्व अभिलेखों, पंचायत के अभिलेखों आदि में राम सागर राय आ. स्व. अगनू राय दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर वास्तविक नाम राम सागर यादव आ. स्व. अगनू राय रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे राम सागर यादव आत्मज स्व. अगनू राय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

राम सागर राय
पिता- स्व. अगनू राय
निवासी-वार्ड नं.-02, मठपारा,
शक्ति नगर, नंदिनी रोड, जामुल,
जामुल सीमेंट वर्क्स,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राम सागर यादव
पिता- स्व. अगनू राय
निवासी-वार्ड नं.-02, मठपारा,
शक्ति नगर, नंदिनी रोड, जामुल,
जामुल सीमेंट वर्क्स,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिद्धार्थ कुमार आत्मज दुर्योधन बंसोड़, उम्र 41 वर्ष, निवासी-मकान नं.-199, वार्ड नं.-3, सर्वोदय बुद्ध विहार, कोसानगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरी पुत्री कक्षा ग्यारवीं में अध्ययनरत है, जिसका वास्तविक नाम प्राची बंसोड़ है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उसका नाम प्राची पाटिल दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरी पुत्री को प्राची बंसोड़ (Prachi Bansod) आत्मजा श्री सिद्धार्थ कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

प्राची पाटिल
(Prachi Patil)
पिता- श्री सिद्धार्थ कुमार
निवासी-मकान नं.-199, वार्ड नं.-3,
सर्वोदय बुद्ध विहार,
कोसानगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

प्राची बंसोड़
(Prachi Bansod)
पिता- श्री सिद्धार्थ कुमार
निवासी-मकान नं.-199, वार्ड नं.-3,
सर्वोदय बुद्ध विहार,
कोसानगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय कुमार पटेल आत्मज स्व. डमरूधर, उम्र 38 वर्ष, जाति अघरिया, निवासी-ग्राम बिलाईगढ़, (सिंधवा), तहसील डभरा, जिला जांजगीर चाम्पा (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे कक्षा 10वीं व 12वीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा वास्तविक नाम अजय कुमार पटेल आ. डमरूधर दर्ज है किन्तु मेरे स्नातक, स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अजय कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे अजय कुमार पटेल आत्मज स्व. डमरूधर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अजय कुमार
पिता- स्व. डमरूधर
निवासी-ग्राम बिलाईगढ़, (सिंधवा),
तहसील-डभरा,
जिला-जांजगीर चाम्पा (छ. ग.)

नया नाम

अजय कुमार पटेल
पिता- स्व. डमरूधर
निवासी-ग्राम बिलाईगढ़, (सिंधवा),
तहसील-डभरा,
जिला-जांजगीर चाम्पा (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

कलेक्ट्रेट के सामने पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2020

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जीवित/2020/2258.—वस्तुतः महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सेमरा, पं. क्र. 179 दिनांक 06-10-2004 विकास खण्ड कोटा जिला-बिलासपुर, को पुनर्जीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री एस. आर. भगत, सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा, द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा दिनांक 10-08-2020 को समिति की आमसभा में संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करने का निर्णय लिया गया है एवं वर्ष 2019-20 का अंकेक्षण कराया जा चुका है. अतः सदस्यों के हित में परिसमापक श्री एस. आर. भगत, सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा, के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ.

अतः छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सेमरा, पं. क्र. 179 दिनांक 06-10-2004 विकास खण्ड कोटा जिला-बिलासपुर, को इस शर्त पर “संस्था के निर्वाचन हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 03 माह के भीतर मतदाता सूची तैयार कर इस कार्यालय के माध्यम से छ. ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर को प्रेषित करने तथा नियमित अंकेक्षण कराने” पुनर्जीवित करती हूँ एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तत्कालीन संचालक मण्डल को अधिकृत करती हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2355.—वस्तुतः राजीव गांधी मछुवा सहकारी समिति मर्या. जोंधरा, पं. क्र. 3735 दिनांक 17-01-1976 विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.), को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2025/949 दिनांक 23-03-2015 के द्वारा विगत कई वर्षों से अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. सी. ध्रुव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत राजीव गांधी मछुवा सहकारी समिति मर्या. जोंधरा, पं. क्र. 3735 दिनांक 17-01-1976 विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2356.—वस्तुतः महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिल्हा, पं. क्र. 112 दिनांक 31-01-2001 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.), को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1201 दिनांक 28-04-2015 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 2222 दिनांक 15-9-2017 के द्वारा विगत कई वर्षों से अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिल्हा, पं. क्र. 112 दिनांक 31-01-2001 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

मंजू महेन्द्र पाण्डेय
उप पंजीयक.